उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या-4/2017/623/37-3-2017-3(12)/2016
लखनऊः दिनांक 13 सितम्बर, 2017
कार्यालय-आदेश

डा0 आर0 एन0 नायक, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी की गोपनीय आई0डी0 एवं पासवर्ड बिना किसी अधिकार के अपने अधीनस्थ कर्मचारी को देने, जिसके कारण उनके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा आपराधिक कृत्य कर गबन कर लिया गया, के आरोपों के लिए कार्यालय-आदेश संख्या-988/37-1-2016-3(12)/2016, दिनांक 29-04-2016 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त के संचालनार्थ वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा वर्तमान में कतिपय कारणों से जॉच करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए किसी अन्य अधिकारी से जॉच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतएव एतद्द्वारा डा0 आर0 एन0 नायक, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2017/623(1) /37-3-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2)- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3)- जॉच अधिकारी/ निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में आरोप गठित कर 02 सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4)- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5)- पशुधन अनुभाग-1।
(6)- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com